

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 20/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 06.03.2020

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

**तालिका**

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै रीच इन्फोकॉम टेकनोलॉजी प्रा. लि., 9, आइडियल सेंटर, ए जे सी बोस रोड, पहला तल, कोलकाता-700017 और 4 अन्य.	फ़ा सं DRI/DZU/ 23/Enq-15/2019 दिनांक 03.02.2020 (कारण बताओ नोटिस सं. 04/2020)	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (एयरपोर्ट एवं प्रशा.), कस्टम हाउस, कोलकाता. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), ग्रुप-5A, कस्टम हाउस, कोलकाता.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (एयरपोर्ट एवं प्रशा.), कस्टम हाउस, कोलकाता.
2.	मै ओम गणपति मार्केटिंग प्रा. लि., ए-264, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेस-I,	फ़ा सं DRI/HQ-CI/C- Cell/50D/ Enq-9/Int- 26/ 2018-19 दिनांक 17.02.2020.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो -

	दूसरा तल, नई दिल्ली-110020 और 2 अन्य.		संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, सी आर बिल्डिंग, क्वीनस रोड, बेंगलुरु.	तुगल्काबाद, नई दिल्ली.
3.	(i) श्री राजीव वर्मा, सी-64, विवेक विहार, फ़ेस-1, दिल्ली-110095  (ii) मै अनमोल प्लास्ट, ज़ेडबी 28/31-487, जुलफ़े बंगाल इंडस्ट्रियल एरिया, जी टी रोड, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095  (iii) मै मिलानो एंटरप्राइसेस, UG66, अमृत प्लाज़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सूर्य नगर, गाज़ियाबाद  (iv) मै टेकज़ोन इंपेक्स, प्लॉट सं 12/37, इंडस्ट्रियल एरिया साइट IV, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद  (v) मै श्री आर सी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., 6/324, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031  (vi) मै प्रो इन्फोटेक, ZB 38/487, दिलशाद गार्डन, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली  (vii) मै गणेश एंटरप्राइसेस, WZ 8D, असालतपुर, जनकपूरी, दिल्ली-110058	फ़ा सं DRI/MZU/ NS/Int-45/2016 दिनांक 27.12.2019.	आयुक्त सीमा शुल्क (न्हवा शेवा -V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़  आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली.  आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो -तुगल्काबाद नई दिल्ली.  आयुक्त सीमा शुल्क (कोलकाता सी पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हवा शेवा -V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़

<p>(viii) मै एटीएस प्रीमियम सॉफ्टटेक प्र. लिं., ए-79, गली सं. 8, राजगढ़ कॉलोनी, दिल्ली-110051</p> <p>(ix) मै ज़ेडएक्स कम्प्युटर्स, A10/9B, पहला तल, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110032</p> <p>(x) मै शिव इंपेक्ष, 80/5, बी लोअर ग्राउंड फ्लोर, फ्रंट पोर्शण, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017</p> <p>(xi) मै मरवेल इंपेक्ष, प्लॉट सं. 12, एचसीएमआर कॉम्प्लेक्स, गेट सं 4 के पीछे, मंडोली रोड, दिल्ली-110093</p> <p>(xii) मै वर्ल्ड विजन, 9/23, बाज़ार गली, विश्वास नगर, दिल्ली-110032</p> <p>(xiii) मै ऑस्कर एंटरप्राइसेस, WZ 32A, असालतपुर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058</p> <p>(xiv) श्रीमति तनु वर्मा, C-64, विवेक विहार, फ़ेस-1, दिल्ली-110095</p> <p>(xv) श्री विसवा वर्मा, C-64, विवेक विहार, फ़ेस-1, दिल्ली-110095</p>			
---	--	--	--

और (xvi) श्री नरेश उप्पल, A/3, 157, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.			
---	--	--	--

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-12/2020]

(पारस मल सांखला)  
संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।
4. उप निदेशक (सीआई), सी सेल, डीआरआई(मुख्यालय), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।